न्यायालय राजस्वअपीलप्राधिकारीजोधपुर

(पीठासीन अधिकारी श्री ओम प्रकाश विश्नोई आर ए एस)

मूलचंद भाटी

बनाम

रविन्द्र सिंह भाटी इत्यादि

उपस्थिति

1. श्री बुधराम गोदारा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री हरीसिंह कच्छावाह, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक
3. श्री जागेसिंह भाटी, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या दो
4. श्री राजेन्द्रसिंह, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या सात

आदेश

दिनांक 09 जून 2025

अपीलांट्स ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 107/2025 अनवान मुलचंद भाटी बनाम रविन्द्र भाटी इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 02 मई 2025 के विरूद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 06 मई 2024 को प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 159 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा नंबर 163 रकबा 0.0486 हैक्टेयर, खसरा नंबर 170/1 रकबा 0.0971 हैक्टेयर ग्राम चैनपुरा तहसील जोधपुर अपीलांट की सहखातेदारी की भूमि है, जिसका विधिवत विभाजन होना है। अपीलांट की ओर से वादग्रस्त आराजी के संबंध में विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया है जो वर्तमान में विचाराधीन है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में है। अपीलांट्स की ओर से विचारण न्यायालय में वाद के विचाराधीन रहते अस्थाई निषेधाज्ञा का

अनुतोष चाहा गया, किंतु विचारण न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश पारित करने से इंकार कर दिया। रेस्पोडेंट्स विभाजन के वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी के बेचान हस्तांतरण करने तथा मौ के जबरन निर्माण कार्य करने पर आमादा है। इस कारण अपीलार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 02 मई 2025 को निरस्त किया जावे एवं रेस्पोडेंट्स को पाबंद फरमाया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

जवाब में रेस्पो. अधिवक्ता गण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि उभय पक्ष अपने-अपने हक-हिस्से अनुसार वादग्रस्त आराजीयात पर काबिज काश्त है। कानूनन सहखातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण होना है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील सारहीन एवं पोषणीय नहीं होने से खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख मुताबिक वादग्रस्त आराजीयात उभय पक्ष की सहखातेदारी की भूमि है। अपीलांट द्वारा अपील स्तर पर ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे साबित हो कि पक्षकारान् द्वारा मौके पर निर्माण कार्य किया जा रहा हो अथवा वादग्रस्त आराजी को खुर्द-बुर्द किया जा रहा हो। विचारण न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण/रेस्पो. को सुने बिना अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं समझा है। अप्रार्थीगण की तामील के उपरांत अपीलांट के पास विचारण न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर

	प्राप्तहै। ऐसी स्थिति में इस स्तर पर सहखातेदारान् को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। लिहाजा प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में नहीं पाये जाने से हस्तगत अपील स्वीकार योग्य नहीं ठहरती है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण होना है। ऐसी स्थिति में मामला अंतिम निस्तारण हेतु निर्देशों के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है। उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। साथ ही विचारण न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए एक माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विधिसम्मत रूप से अंतिम निस्तारण करे। उभय पक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 23 जून 2025 को उपस्थित रहे। आदेश सरे ईजलास सुनाया गया। **(ओमप्रकाशविश्नोई)** **राजस्वअपीलप्राधिकारी** **जोधपुर**	